



2026:AHC-LKO:5644-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**जनहित याचिका संख्या – 46/2026**

सिराज अहमद

...याचिकाकर्ताकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायती राज, लखनऊ एवं 3 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मनोज कुमार यादव, चांदनी मौर्य

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :– मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या – 1**

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय**

**माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता की ओर से इस जनहित याचिका पर बल देने के लिये कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा को न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने अस्थायी मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज करने का दावा किया है, लेकिन चुनाव अधिकारियों को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच को प्रतिवादी बनाया गया है, जबकि चुनाव आयोग को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। वे यह भी सूचित करते हैं कि आपत्तियां दर्ज करने और उनके निस्तारण की समयावधि दिनांक 07.01.2026 से 20.02.2026 तक है।
3. उपरोक्त के दृष्टिगत, हम इस याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी सहित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आक्षेपित मतदाता सूची से असंतुष्ट है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज कर सकता है, जिन पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

27 जनवरी, 2026

शानू

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*